



कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी
प्रेस-नोट

दिनांक:-30-07-2024

विषय:- "ऑपरेशन कन्विकशन" के तहत अभियुक्त समीर यादव को लूट के प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा जेल में बताई गयी अवधि व 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

थाना-चितईपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0- 18/2021, धारा- 392, 411, 341 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त समीर यादव पुत्र स्व0 फेकू राम यादव निवासी सीरगोवर्धन थाना लंका जनपद वाराणसी को थाना चितईपुर पुलिस व मॉनीटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक- 30-07-2024 को मा0 न्यायालय जनपद वाराणसी द्वारा दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्त उपरोक्त को धारा-392, 411, 341 भादवि में जेल में बिताई गयी अवधि व 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 07 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त जोन-काशी
कमिश्नरेट-वाराणसी